रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22

REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12032022-234133
CG-DL-W-12032022-234133

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12—मार्च 18, 2022 (फाल्गुन 21, 1943)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12—MARCH 18, 2022 (PHALGUNA 21, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2022

सं. ए-12(11)14/2018-स्था.I.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) तथा उप-धारा 2(क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा धारा 17 की उप-धारा (2) का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एततद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा आयुक्त (आयुष) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा आयुक्त (आयुष) भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएँगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता.– अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :—

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो, जो इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.– भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता.—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो, जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) जो अभ्यर्थी महानिदेशक द्वारा निर्धारित ऐसी शारीरिक जांच के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की अपेक्षा को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, वह नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की जांच कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरूपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता.– ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिल करने की शक्ति.– जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति.– इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा आयुक्त (आयुष)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	समूह 'क', अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	लेवल-14 : (1,44,200-2,18,200/- रुपये)	लागू नहीं	55 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप खंड तथा लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।)

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद/भारतीय चिकित्सा संकाय से चिकित्सा की आयुष विधा में कोई डिग्री अथवा समतुल्य जो कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) या राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त हो। (ii) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामांकन। (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य देखरेख प्रशासन में निष्णात अथवा स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रशासन में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अस्पताल प्रशासन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर ऑफ़ मेडिसिन (अस्पताल प्रशासन) (iv) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक संगठन में व्यवहारिक तथा प्रशासनिक अनुभव सहित व्यवसाय में 20 वर्ष के अनुभव के साथ उपर्युक्त किसी भी निकाय द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष कार्य। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं । टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अधीक्षक (आयुष) से आमेलन द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
आमेलन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप-संवर्ग (आयुष) से चिकित्सा अधीक्षक से आमेलन द्वारा अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) : केंद्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अंतर्गत अधिकारी जो, (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित हों; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/- रुपये) अथवा समकक्ष में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखता हो। टिप्पणी 1 : इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य संवर्ग – बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आमेलन अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के मामले में चयन समिति : 1. सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय -अध्यक्ष 2. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -सदस्य 3. महानिदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) -सदस्य 4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सरकारी विभाग/ विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से मनोवैज्ञानिक -सदस्य सीधी भर्ती के संबंध में समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -अध्यक्ष 2. महानिदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) -सदस्य 3. वित्त आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. ए-12(11)14/2018-स्था.I]

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 21st February 2022

No. A-12(11)14/2018-E. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby with the approval of the Central Government makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Medical Commissioner (AYUSH) in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Medical Commissioner (AYUSH) Recruitment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. — A candidate for appointment must be: —

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. The method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. —

(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

(3) The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. — Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

8. Savings. — Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of Posts.	Classification.	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Commissioner	01 * (2022)	Group 'A' Non-ministerial,	Level - 14 (Rs.1,44,200-	Not applicable.	Not exceeding 55 years.

(AYUSH)	*Subject to variation dependent on workload.	Non - Gazetted	2,18,200/-)		(Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Any degree in AYUSH branches of medicine of a recognised University/Statutory State Board/Council/ Faculty of Indian Medicine or equivalent recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) or the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020. (ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or a State Register of Indian Medicine. (iii) Master of Healthcare Administration or Diplomate of National Board in Health and Hospital Administration recognised by the	Not applicable.	One year for direct recruits.	By absorption from Medical Superintendent (AYUSH) in the Employees' State Insurance Corporation failing which by deputation (including short-term contract)

Medical Council of India / National Medical Commission or Master of Business Administration in Hospital administration or Doctor of Medicine (Hospital Administration) from a recognised University. (iv) 20 years experience in the profession involving practical and administrative experience in Central Government/State Government/Public Sector Undertaking/Autonomous or Statutory Organisation, with five years working as Medical Superintendent in a Hospital run by any of the above bodies. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion /deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By absorption: By absorption from Medical Superintendent from Sub-cadre (AYUSH) in the Employees' State Insurance Corporation with at least five years' regular service as Medical Superintendent of Hospital. By deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Government/UTs/Public Sector Undertakings/ Autonomous or Statutory Organisations, (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 5 years' regular service as Medical Superintendent in level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200/-) of the pay matrix or equivalent; and (b) Possessing the educational Qualification and Experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.	Selection Committee in case of appointment by absorption or deputation (including short-term contract): 1. Secretary/Special Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman, 2. Director General, Employees' State Insurance Corporation - Member; 3. Director General (Central Government Health Scheme) - Member 4. A psychologist from Government department/university or research institute recognised by the University Grants Commission - Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee in case of direct recruitment: 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation - Chairman	Not applicable.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 58 years as on the closing date of the receipt of applications.	2. Director General (Central Government Health Scheme) - Member 3. Financial Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Member	

[F.No. A-12(11)14/2018-Estt. I]

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATH AN ANANTHA KUMAR
Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR
Date: 2022.03.12 10:15:32 +05'30'